फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली जिला उदयपुर

:– श्री करतुर चन्द बनाम अप्रार्थीः– अधिशाषी अधिकारी न.पा.फ.स.

किस्म मुकदमाः– प्रा.पत्र 212 पत्रावली संख्या : 120 / 18

्रम ख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई
	दिनांक : 22.01.2019 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् उपस्थित। अप्रार्थी की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रति दिलवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः– *प्रथम दृष्टया मामला*– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम पर दर्ज हैं। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं जमाबन्दी से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति*– चूंकि वाद वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ हैं। प्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित	

सहायक कलक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। विपक्षी भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि में विपक्षी दखलन्दाजी करने से विपक्षी सं. 1 के विरूद्व धारा 188 के तहत् वाद प्रस्तुत किया हैं पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में एक तरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी पारित की गई है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सावित हुए है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर निस्तारित किये जावेगे।

– : **<u>आदेश</u>** :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि मौजा सनवाड, पटवार हल्का सनवाड, तहसील मावली के आराजी संख्या 4135, 4136 कीता 2 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा भूमि में अप्रार्थी मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

ACCM

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner